

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 07/09/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

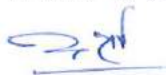
वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जॉच	877.573

कुल आवंटित राशि -

रुपये आठ करोड़ सतहत्तर लाख सतावन हजार तीन सौ मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध रु. 11293.27 लाख (एक सौ बारह करोड़ तिरानवे लाख सताईस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)




(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

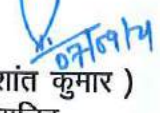

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 100

रॉंची, दिनांक :- 07/09/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्नु रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/गोड्डा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सरायकेला/देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/साहेबगंज/कोडरमा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

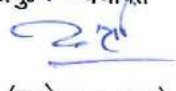

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 100

रॉंची, दिनांक :- 07/09/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉंची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पाँच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

नांग संख्या-50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच

पत्रांक. 100 दिनांक. 07/03/21 का अनुदानक

परिशिष्ट I

लघु शाप-005 अन्वेष/उप शाप-01 संपन्नता कार शाप															राशि लाख रुपये में	
क्र सं०	वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07-विभिन्न प्रभार		कुल योग	अभिमुक्ति
	कार्यालय का नाम	विषय कोड	वेतन	एलएण्टीसीओ	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रिया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विभिन्न प्रभार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	विषय कोड	50S2702020050 1000101	50S270202005 01000112	50S2702020050 1000213	50S2702020050 1000315	50S270202005 01000316	50S27020200 501000323	50S27020200 501000333	50S270202005 01000334	50S270202005 01000337	50S270202005 01000442	50S270202005 01000760			
			18,000	0.000	0.400	0.500	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.800	0.000	19,900		
			37,000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.300	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	37,650		
			55,000	0.000	0.400	0.750	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.800	0.000	57,550		
2	योजना मॉनेटरिंग एवं आयोजन अंचल-3, संचो		50,000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.700	0.000	51,550		
			60,000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1.800	0.000	62,550		
			110,000	0.000	0.300	1,000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	2,500	0.000	114,100		
3	लघु सिंचाई अंचल, देवर		16,000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	17,350		
			22,750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	22,950		
			38,750	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.800	0.000	40,300		
4	लघु सिंचाई अंचल-संचो		80,000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	81,350		
			80,000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	80,400		
			160,000	0.000	0.300	0.500	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.600	0.100	161,750		
5	लघु सिंचाई अंचल-हजारबाग		70,000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	71,350		
			7,000	0.250	0.600	0.300	0.150	0.300	0.000	0.000	0.000	0.500	0.150	9,250		
			77,000	0.250	0.900	0.600	0.150	0.300	0.150	0.000	0.000	1,100	0.150	80,600		
6	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-संचो		50,000	0.100	0.000	0.200	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.300	0.100	51,000		
			239,000	0.100	0.250	0.450	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.800	0.100	241,100		
7	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोबरमा		123,000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	124,000		
			11,800	0.000	1,000	0.300	0.320	0.300	0.050	0.000	0.000	0.700	0.100	14,570		
			134,800	0.000	1,250	0.550	0.320	0.300	0.050	0.000	0.000	1,200	0.100	138,570		
			146,000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	147,100		
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-बूंदी		63,400	0.400	0.000	0.250	0.100	0.150	0.050	0.000	0.000	0.300	0.100	64,750		
			209,400	0.400	0.250	0.500	0.100	0.150	0.150	0.000	0.000	0.800	0.100	211,850		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (आर्थिक)

(इयाम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (आर्थिक)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय											विरुद्ध शीर्ष-04-मोटोसाइकिल ईंधन एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07-विधि प्रसार		कुल योग	अभियुक्ति
	कार्यालय का नाम	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	वेतन	एलएटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटोसाइकिल ईंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-पिशीडिह	विस्तृत कोड	50S2702020050 1000101	50S270202005 01000112	50S2702020050 1000213	50S2702020050 1000315	50S270202005 01000316	50S270202005 501000323	50S27020200 501000333	50S270202005 01000334	50S270202005 01000337	50S270202005 01000442	50S270202005 01000780						
10	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	160.000 0.000	0.000 0.000	0.250 0.250	0.250 0.000	1.930 1.930	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.500	0.000 0.000	0.000 0.000	161.000 162.930				
11	लघु सिंचाई प्रमंडल-चाईबासा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	200.000 100.460	0.000 0.000	0.250 0.000	0.250 0.500	0.000 0.000	0.000 0.200	0.000 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.800	0.000 0.200	0.000 0.000	201.100 302.560				
12	लघु सिंचाई प्रमंडल-दुमका	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	300.460 124.000	0.000 0.000	0.250 0.250	0.250 0.400	0.573 0.573	0.000 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.300	0.000 0.000	0.000 0.000	125.000 147.613				
13	लघु सिंचाई प्रमंडल-पाकुड़	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	270.440 400.000	0.000 0.000	0.250 0.250	0.250 0.450	0.000 1.200	0.000 0.150	0.000 0.120	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.800	0.000 0.100	0.000 0.000	401.100 403.070				
14	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	400.000 160.000	0.000 0.000	0.250 0.250	0.250 0.200	0.000 0.000	0.000 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.400	0.000 0.000	0.000 0.000	1.970 161.000				
15	लघु सिंचाई प्रमंडल-सामाढ़	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	20.000 180.000	0.000 0.000	0.000 0.250	0.200 0.450	0.000 0.000	0.150 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.900 0.500	0.000 0.000	0.000 0.000	20.750 181.750				
16	लघु सिंचाई प्रमंडल-सोदी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	180.000 200.000	0.000 0.000	0.250 0.250	0.200 0.250	0.000 0.000	0.150 0.000	0.050 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.500	0.400 0.000	0.000 0.000	182.200 201.100				
17	लघु सिंचाई प्रमंडल-साहेबगंज	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	150.000 350.000	0.000 0.000	0.000 0.250	0.300 0.550	0.000 0.000	0.300 0.000	0.000 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	1.600 0.500	0.150 0.000	0.150 0.000	352.950 426.100				
18	लघु सिंचाई प्रमंडल-रूपाकण एवं मोनेटरिंग प्रमंडल, दुमका	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	425.000 250.000	0.000 0.000	0.250 0.200	0.250 0.300	0.000 0.500	0.000 0.150	0.000 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.900	0.000 0.300	0.000 0.000	251.100 252.650				
		कुल आवंटन	40.000	0.000	0.250	0.450	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.900	0.000	0.000	41.850				

(संजय प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव100
07/09/21

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक धन्य												विरुद्ध शीर्ष-04-		विरुद्ध शीर्ष-07-		राशि लाख रुपये में	अभिव्यक्ति
	कार्यालय का नाम	वेतन	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दफ्तर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रभार	कुल योग							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
19	लघु सिंघाई रुपांकण प्रमंडल, सैफी	पूर्व का आवंटन	190.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	191.100					
		अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	30.800					
20	भुवार्म जल सर्वेक्षण प्रमंडल-सैफी	कुल आवंटन	220.000	0.000	0.250	0.450	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.900	0.000	221.900					
		पूर्व का आवंटन	80.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	81.100						
		अतिरिक्त आवंटन	71.990	0.000	0.000	0.870	0.000	0.120	0.050	0.000	0.800	0.000	73.830							
		कुल आवंटन	151.990	0.000	0.250	1.12000	0.000	0.120	0.150	0.000	1.300	0.000	154.930							
	अतिरिक्त आवंटन का योग	850.840	0.750	1.600	5.170	4.773	3.220	0.720	0.000	0.000	8.500	2.000	877.573							

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रु० आठ करोड़ सतहत्तर लाख सतावन हजार तीन सौ मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)(इशाम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)(प्रशांत कुमार)
सचिव100
07/09/21